न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या252/2015

गिरधारी लाल पुत्र मनीराम जाति नायक निवासी 2 बीएलडी ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर ।

—अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीविजयनगर।
2. उपखंड अधिकारी श्रीविजयनगर ।
3. चुहडु पुत्र फकीरचन्द जाति चौधरी निवासी लन्ज तहसील व जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

—रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. 1956

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीविजयनगर

दिनांक 21.02.2014 ।

उपस्थितिः—

श्री कृष्णलाल सुथार , अभिभाषक अपीलांट।

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय **दिनांक :— 22.09.2017**

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपखंड अधिकारी श्री विजयनगर के आदेश दिनांक 21.02.2014 के विरूद्ध पेश की गई है उक्त आदेश के द्वारा रेस्पो. सं.3 को चक 10 बीएलएम ए के मु.न. 199/417 व 191/376 की कुल 5.062 है. भूमि बतौर पौंग बांध विस्थपित वैकल्पिक आवंटन की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

22/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि रेस्पो. को आवंटित भूमि में से मु.न. 191/376 के कि.न. 18 से 25 की 1.796 है. भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं इसके denotify की कार्यवाही कर रखी है जबतक denotify की कार्यवाही नहीं हो जाती तबतक अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखल नहीं किये जाने के आदेश दिये जावें ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पौंग बांध विस्थापित के लिए आरक्षित थी एवं पौंग बांध विस्थपित को आवंटन हुआ है। यदि अपीलांट का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त है तो उससे अपीलांट को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थी पौंग बांध विस्थपित नहीं है रेस्पो. पौग बांध निर्माण का सद्भावी विस्थापित है एवं पौंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित भूमि ही उसे आवंटन हुई है। अतः उसका ligal right है । अपीलार्थी का कथन है कि विवादित आराजी को पौंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित से denotify करने का प्रकरण राज्य सरकार स्तर पर लम्बित है, परन्तु किसी आदेश की प्रायाशा में कोई निर्णय पारित किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा किसी प्रशासनिक आदेश से अनुतोष मिलता है तो उसकी पालना के आदेश की शर्त पर यह अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

22/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर